-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के संग्रहण,बिक्री व निर्माण करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 20/21.07.2025 की रात्रि थाना कोतवाली देहात पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि भिम्मा का पुरवा के पास एक युवक घूम रहा है जिनके पास अवैध तमंचा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर घेराबन्दी कर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए युवक को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विजय वर्मा पुत्र रामकिशोर वर्मा निवासी भिम्मा का पुरवा गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 173/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह
2. कां0 राघवेन्द्र सिंह
3. कां0 उदय सिंह